वकालतनामा

(अधिवक्ता अधिनियम 1961 के अन्तर्गत विचरित नियमों का नियम 4(1))

न्यायालय श्रीमान न्यायिक दंडाधिकारी महोय भोपाल,

परिवाद क्रमांक ...../2022

	--------	अभियोगी / आवेदकगण

विरुद्ध

	---------	अभियुक्तगण/अनावेदकगण

मै परिवादी एतद द्वारा अधोनामित अधिवक्ता(गण) को उपरोक्त प्रकरण/ कार्यवाही, जिसमें पुर्नस्थापन, एक पक्षीय आदेष का निरस्त करने, सुधार, संषोधन, पुनर्विलोपन तथा इन कार्यवाहियों में पारित आदेषों का वापस लेने हेतु आवेदन पत्र सम्मिलित है। इस न्यायालय में अथवा किसी अन्य न्यायालय में, जिसमें इसका विचारण/श्रवण/कार्यवाही की जाने हो, तथा अपीलीय पुर्नरीक्षण अथवा निष्पादन न्यायालय में भी इस प्रकरण/कार्यवाही से उद्भूत कार्यवाही में तय किये गये निबंधों एवं षर्तो के अनुसार उपस्थित होने, कार्य करने, अभिवचन करने तथा उक्त प्रकरण में जैसी आवष्यकता हो, अथवा उसके उचित अभियोजन/बचाव हेतु सभी प्रक्रमों पर अभिवचन, अपील, प्रत्याक्षेप, याचिका आवेदन पत्र, षपथ पत्र, अथवा ऐसे दस्तावेजों,जो कि उस प्रकरण अथवा कार्यवाही के उचित भियोजन अथवा बचाव हेतु आवष्यक समझे जायें पर हस्ताक्षर करने अथवा प्रस्तुत करने हेतु नियुक्तकर्ता, लगाता तथा अधिकृत करता हूँ/करते है एवं उसके/उनके द्वारा किये गये कार्यो की पुष्टि एवं अनुसमर्थन मेरे/हमारे द्वारा किय गये कार्यो के रूप में भी करने हेतु सहमत हूँ/है।

इस साक्ष्य स्वरूप मै/हम इस प्रपत्र पर, जिसकी विषय वस्तु/अंतर्वस्तु को मैने/हमने भली भांति समझ लिया है, आज दिनांक ...../...../..... को अपने हस्ताक्षर करता हूँ/करते है,

वकालतनमा निष्पादित करने वाले प्रत्येक पक्षकार का विवरण-

नाम, पिता/पति का नाम	पंजीकृत पता	फोन नं.	प्रकरण में हैसियत चिन्ह	हस्ताक्षर अथवा अँगूठा

वकालतनामा स्वीकार करने वाले प्रत्येक अधिवक्ता का विवरण -

पूर्ण नाम तथा अधिवक्ता परिषद में नामांकन क्र.	निर्वहन हेतु पता	ई-मेल	मोबाईल नं.	हस्ताक्षर